निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 56 / 2021
दायरा दिनांकः—06.09.2021
निर्णय दिनांकः— 30.06.2025

उनवान

1. मोहनलाल आयु 42 वर्ष आत्मज छोटेलाल जात धाकड निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. नरेश आयु 32 वर्ष आत्मज छोटेलाल जात धाकड निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. ओमप्रकाश आयु 28 वर्ष आत्मज छोटेलाल जात धाकड निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामनारायण आयु 70 वर्ष आत्मज धन्नालाल जाति धाकड निवासी चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. सन्तराम आयु 55 वर्ष आत्मज धन्नालाल जाति धाकड निवासी चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. बाबूलाल आयु 50 वर्ष आत्मज धन्नालाल जाति धाकड निवासी चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.06.2025

अभिभाषक उपस्थितः— 1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 526 रकबा 19 बिस्वा अवस्थित है जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण के खाते एंव कब्जे काश्त में चली आ रही उक्त वर्णित भूमि में से 3 बिस्वा भूति वजानिब दक्षिण दिशा पर अर्सा लगभग 08 वर्षों पूर्व अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 ने जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य कर उसमे टीन शेड करवाकर अपने मवेशी बान्धने लग गये प्रार्थीगण ने मना किया तो वह लड़ाई झगड़ा एंव मारपीट करने तथा जान से मारने को आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि पर से अपना अतिक्रमण एव टीन शेड को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हटाकर भूमि पर प्रार्थीगण को आधिपत्य संभलाये जाने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वह टालमटूल करते रहे अन्त में दिनांक 28/08/21 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपना आधिपत्य हटाकर उक्त भूमि को प्रार्थीगण के आधिपत्य मे संभलाये जाने का अनुरोध किया तो उन्होने कतई इन्कार कर भूमि पर पक्का निर्माण कराने की एंव प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकियां दी अतः यही दिनांक 28/08/21 बिनाय मुखासमत वाद कायम जाता है। यदि अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया तो वह जबरन ताकत के बल पर पक्का निर्माण करा लेगे जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर दखल प्राप्त होने में बहुत ही मुश्किल हो जावेगा और दीगर मुकदमे बाजियो में मशरूफ होकर जेरकार होना पडेगा। और भंयकर रूप से प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना नितान्त असभव हो जावेगा अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसलावाद जारी कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 190 पेश की गई।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के दक्षिण दिशा में आबादी भूमि स्थित है तथा आबादी की भूमि खसरा नंबर 526 से लगवां होने से उक्त भूमि से सटी हुई है। जिस पर पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा रेवड़ी डालने, जानवर बांधने एवं चारा डालने के उपयोग एवं उपभोग में लिया जाता जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा था। जिसमें भूमि खसरा नंबर 526 से लगवां आधा बाड़ा मन्नालाल पुत्र घांसीलाल के हिस्से में आया था तथा आधा बाड़ा धन्नालाल आत्मज बालकिशन के हिस्से में आया था। कि मन्नालाल पुत्र घांसीलाल के कोई औलाद नहीं होने से प्रार्थीगण के पिता छोटेलाल पुत्र धन्नालाल को उसने गोद रखा था। इस कारण मन्नालाल के हिस्से के बाड़े पर छोटेलाल एवं धन्नालाल पुत्र बालकिशन के हिस्से 1/2 पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के बाड़े में मकान बना लिया है तथा उसमें मय परिवार निक्स कर रहे हैं एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के बाड़े में रेवडिया डाल रखी है तथा तीनों अप्रार्थीगण द्वारा अलग–अलग लेट्रिन बना रखी है एवं टीनशेड कर रखा है। जिसमें जानवर बांधते हैं तथा चारा रखते चले आ रहे हैं तथा अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के हिस्से के आधे बाड़े की भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण या उसके पिता छोटेलाल या दत्तक पिता मन्नालाल का लेस मात्र के लिए भी कब्जा नहीं रहा है। वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 526 के दक्षिण दिशा में स्थित बाड़े में प्रार्थीगण द्वारा 10 साल पूर्व मकान बना लिया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के बाड़े में दीवारे बनाकर एवं लोहे की एंगल लगाकर चद्दर डाल रखे हैं तथा सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा तीन अलग–अलग लेट्रिन भी बना रखी है। जिसे काफी अर्सा हो गया है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई विरोध नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में परिवार में लड़ाई–झगड़ा हो जाने के कारण रंजिशवश भूमि खसरा नंबर 526 की आड़ में अप्रार्थीगण के बाड़े की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है तथा अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। अतः अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नंबर 526 की आड़ में आबादी भूमि में स्थित बाड़े की भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा लेने की नियत से भिन्न तथ्यों पर आधारित होकर वाद माननीय न्यायालय के पक्ष में पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वाद / प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 526 के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण का पक्का मकान बना हुआ है तथा मकान के बाद अप्रार्थीगण का बाड़ा स्थित है। जिस पर कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया गया है। अगर भूमि खसरा नंबर 526 के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के खाते की भूमि थी तो प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा बनाए गए मकान एवं अप्रार्थीगण के कब्जेशुदा बाड़े पर एक साथ मकान बनाना चाहिए था। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के बाद की भूमि पर मकान बनाया गया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भूमि खसरा नंबर 526 के दक्षिण दिशा में स्थित प्रार्थीगण के मकान के बाद प्रार्थीगण की कोई भूमि नहीं है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में जबरन टीन शेड करवा कर मवेशी बाधने लग गये। प्रार्थी द्वारा मना किया तो लडाई–झगडा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण ने उक्त टीन शेड को हटाने के लिए कई बार कहा परन्तु टीन शेड नही हटा रहे है उक्त कब्जे की भूमि पर मकान निर्माण करने पर आमादा है प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। कि वह किसी प्रकार निर्माण कार्य नही करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है प्रार्थी के खसरा नम्बर 526 की भूमि के दक्षिण दिशा में आबादी भूमि स्थित है आबादी की भूमि खसरा नम्बर 526 से लगवा होने के कारण उक्त भूमि से सटी हुई है जिस पर पूर्व से ही प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा रेवडी डालने जानवर बांधने एवं चारा डालने के उपयोग में लिया जाता है मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा मौके पर आपसी सहमति से बटवारा कर रख है आधा बाडा मन्नालाल और आधा बाडा धन्नालाल के हिस्से में आया। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के बाडे में मकान बना लिया जिसमें वह मय परिवार निवास कर रहे है अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से में रेवडिया डाल रखी है तथा तीनों ने लेट्रिन बना रखी है एवं टीन शेड कर रख है प्रार्थी को लगभग 10 साल पूर्व मकान बना लिया तथा अप्रार्थी ने अपने हिस्से के बाडे में लोहे की एंगल गाड कर चद्दार डाल रखे है। प्रार्थी अपने खाते की जमीन बता कर जबरन कब्जा करना चाहता है यदि प्रार्थी के खाते की भूमि होती तो प्रार्थी द्वारा जब मकान बनाया जब अप्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि पर एक साथ मकान बनाना चाहियें था प्रार्थीगण के मकान के बाद दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की कोई भूमि नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 190 के अनुसार मोहनलाल, नरेश, ओमप्रकाश, पुत्र छोटेलाल जाति धाकड का नाम दर्ज है। प्रार्थी भूमि का खातेदार कृषक है। परन्तु प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किए गए। जिससे साबित हो कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया गया है एवं प्रतिवादी द्वारा भी ऐसे साक्ष्य पेश नही किए गए है जिससे साबित हो कि प्रतिवादीगण अपनी भूमि में ही काबिज हो। ऐसी परिस्थितियों में वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उभयपक्षों को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्षों को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 526 रकबा 19 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि में मौके की यथास्थिति बनाए रखे एवं कोई नया निर्माण कार्य नहीं करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा